प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक- 180 /पन्द्रह दिनांक- 23.01.2021

विषय- Mechanism for opening of Courts during the period of Lockdown & thereafter.

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि उपर्युक्त विषयक माननीय न्यायालय के पत्र संख्या-1687/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 18 दिसम्बर, 2020 के अनुपालन हेतु कोरोना समिति, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को दैनिक कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा आज दिनांक 23.01.2021 को कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक: 23.01.2021
संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

23.1.21

I/c **जनपद न्यायाधीश**
शाहजहाँपुर।

प्रेषक,

कोरोना समिति,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

सेवा मे,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

विषय- **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिये निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास करने के सन्दर्भ में दैनिक कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

माननीय न्यायालय के पत्र संख्या-1687/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 18 दिसम्बर, 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में माननीय महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या-02/2021 दिनांकित 01.01.2021 के अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिये निवारक एवं उपचारात्मक प्रयासों तथा न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज **दिनांक 23.01.2021** को सम्पादित कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय पत्रांक-595/कोविड-19/2020-2021 दिनांकित 23.01.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि **जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर तथा बाह्य न्यायालय, तिलहर, जलालाबाद एवं पुवायां कन्टेनमेंट जोन से बाहर है।**
2. दिनांक 20.01.2021 को जिला पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न मामलों में कुल 12 बन्दियों (उक्त बन्दीगण इन्द्रपाल सिंह, राजीव गुप्ता एवं शफी हसन को सम्मिलित करते हुये) को न्यायिक रिमाण्ड हेतु जनपद न्यायालय परिसर में रिमाण्ड न्यायालय/ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। **बन्दीगण इन्द्रपाल सिंह, राजीव गुप्ता एवं शफी हसन के दिनांक 20.11.2020 को कोरोना संक्रमित पाये जाने के उपरांत माननीय जनपद न्यायधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या- 10/2021, दिनांक- 20.01.2021 द्वारा दिनांक 21.01.2021 तथा 22.01.2021 को सम्पूर्ण जनपद न्यायालय परिसर को 48 घंटे के लिये पूर्णतया बंद कराकर जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके मानक के अनुरूप सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को दिन में दो बार सेनेटाइज कराकर विसंक्रमित कराया गया है।** तदैव माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर एवं बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां कार्य सम्पादन हेतु खोले गये हैं।
3. आज पुनः न्यायालय परिसर खुलने से पूर्व जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके जनपद न्यायालय परिसर एवं बाह्य न्यायालयों की समुचित साफ-सफाई के उपरान्त उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया। सभी न्यायालय कक्षों, कार्यालयों, विश्राम कक्षों एवं न्यायालय परिसर के सभी स्थलों पर साफ सफाई करायी गयी है। न्यायालय परिसर में फागिंग करायी गयी है। न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन दिन में दो बार अर्थात न्यायालय प्रारम्भ होने से पूर्व तथा न्यायालयों की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त कराया जा रहा है। बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद के परिसर का भी उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया है।
4. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की तापीय जांच (Thermal Scanning) करायी जा रही है। यह कार्य जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये इन्फ्रारेड नो कान्टेक्ट टेम्प्रेचर थर्मामीटर द्वारा किया जा रहा है। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों/व्यक्तियों को थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है।
5. जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की समर्पित (dedicated) ई-मेल आई.डी. districtcourtspn@gmail.com पर आज दिनांक 23.01.2021 को कोई भी आवेदन पत्र, जमानत प्रार्थनापत्र, बहस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. परिसर में स्थापित कैन्टीन को पूर्ववत् बन्द रखा गया है। इस समय गेट संख्या-1 से अधिकारियों एवं कर्मचारियों, गेट संख्या-4 से अधिवक्ताओं तथा गेट संख्या-2 के साथ-साथ गेट संख्या-6 के साथ लगे हुए छोटे गेट से वादकारियों आदि को प्रवेश दिया जा रहा है। गेट संख्या- 6 को बंदियों को लाने व ले जाने के लिये पूर्ववत खोल दिया गया है, सभी को थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही प्रवेश दिया जा रहा है।

7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को ई-कोर्ट सर्विसेज एप के अधिकाधिक प्रयोग के लिये जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जनपद न्यायालय के समर्पित ई-मेल आई.डी एवं दूरभाष सेवा के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। कार्य योजना का प्रचार प्रसार समाचार-पत्रों के माध्यम से भी कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार समिति की दैनिक अनुपालन रिपोर्ट माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांकः 23.01.2021

(सौरभ द्विवेदी)
सदस्य,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(सुरजन सिंह)
सदस्य,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(किरन पाल सिंह) 23.01.21
अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

रमेश चन्द्र मिश्रा 23.01.2021.
(रमेश चन्द्र मिश्रा)
सदस्य,
कोरोना समिति/
प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

Kumar 23.01.2021
(कुलदीप कुमार)
सदस्य,
कोरोना समिति/
न्यायालय प्रबन्धक,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

Seen 23.1.21
D.J.
23.01.2021.

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

संख्या 595 /कोविड–19/2020–2021

दिनांक 23 जनवरी, 2021

विषय : **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–702/XV दिनांक 21 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद जोन की स्थिति की दैनिक आख्या प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार की नयी गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर तथा वाहृय न्यायालय तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर है।

तद्नुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

23/1/2021

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
नोडल अधिकारी
शाहजहाँपुर।